फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुदान संख्या व नाम :- अनुदान संख्या- 46 वित्तीय वर्ष 2015-16

(धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखाशीर्षक (15, डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान विनियोग (3-5)	लेखाशीर्षक (15, डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन-00-03-महंगाई भत्ता	36000	17559	2900	2900	14659	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन-00-02-मजदूरी	7400	8900	1500	1500	8900
						2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन-00-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	800	950	150	150	950

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

						2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन-00-15-गाडियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	2500	2600	100	100	2600
						2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन-00-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1350	1550	200	200	1550
						2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन-00-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	600	1200	600	600	1200
						2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन-00-47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेश्नरी का क्रय	700	1050	350	350	1050
योग-	36000	17559	2900	2900	14659		13350	16250	2900	2900	16250

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

03- महंगाई भत्ता- आयोग में सूचना आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण एवं आयोग कार्यालय में नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण आउटसोसिंग के माध्यम से कार्मिकों से कार्य लिये जाने की दशा में महंगाई भत्ता मद में बचत होने की संभावना है।

02- स्तम्भ-8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से हैं :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

02- मजदूरी - संविदा/आउटसोर्सिंग/बॉडीशॉपिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों का वेतन इस मद द्वारा किया जाता है। चूंकि कार्मिकों की संख्या वित्तीय वर्ष 2014-15 में कार्य के दृष्टिगत नियुक्ति के अभाव में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों द्वारा कार्य लिया जा रहा है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल कार्मिकों की संख्या-82 है जिन पर प्रतिमाह पारिश्रमिक के रूप में धनराशि रू0 1050 हजार का व्यय हो रहा है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष समाप्त होने में अभी 2 माह का समय शेष है एवं वर्तमान समय में उक्त मद में केवल रू0 600 हजार का बजट उपलब्ध है जिस कारण संविदा/आउटसोर्सिंग/बॉडीशॉपिंग के कार्मिकों को वेतन दिया जाना सम्भव नही है। अतः इस मद में धनराशि रू0 1500 हजार का पुनिर्विनियोग किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

12- कार्यालय फर्नीचर- आयोग में स्थापित फोटो कॉपी मशीन की मरम्मत, उसमें लगाये जाने वाले टोनर इत्यादि के बिल बाउचर्स भुगतान के लिए प्रस्तुत किये गये है। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में उपलब्ध फर्नीचर एवं कुर्सियों की रिपेयरिंग के भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों का भुगतान किया जाना है। जिस कारण उक्त मद में रू0 150 हजार का पुनर्विनियोग किया जाना आवश्यक है।

15- गाडी अनुरक्षण- आयोग में उपलब्ध वाहनों में ईधन की आपूर्ति पर प्रतिमाह लगभग रू0 150 हजार का व्यय होता है जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में 02 माह का समय शेष है। इस प्रकार से ईधन की आपूर्ति हेतु लगभग 400 हजार का व्यय होने का अनुमान है। उक्त के अतिरिक्त वाहनों की मरम्मत के उपरान्त लगभग रू0 200 हजार के बिल प्रेषित किये गये है। जबकि इस मद में धनराशि रू0 400 हजार शेष हैा अतः इस मद मे रू0 100 हजार का पुनर्विनियोग किया जाना आवश्यक है।

16- व्यवसायिक सेवाएं - मा0 न्यायालय में न्यायिक कार्य करने हेतु नामित अधिवक्ताओं द्वारा मा0 आयोग के लम्बित वादों की पैरवी करने हेतु भुगतान किया जाता है। अधिवक्ताओं द्वारा भुगतान वास्ते धनराशि रूपये 234 हजार के बिल प्रस्तुत किये गये है, जिनका भुगतान किया जाना है।

2- इसके अतिरिक्त आयोग में स्थापित सर्वर एवं नेटवर्किंग मेंटीनेंस हेतु मैन पावर के रूप में कार्यरत कर्मचारी को प्रतिमाह रू0 35 हजार का भुगतान किया जाता है। चूंकि वर्तमान समय में उक्त मद में रू0 112 हजार का बजट शेष है। इस प्रकार इस मद में धनराशि रू0 200 हजार का पुनर्विनियोग किया जाना आवश्यक है।

46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय- उ0प्र0 सूचना आयोग में मा0 आयुक्तगणों के न्याय कक्षों में नये कम्प्यूटर लगाये गये है जिनका भुगतान किया जाना है जिसकारण उक्त भुगतान हेतु धनराशि रू0 600 हजार का पुनर्विनियोग किया जाना आवश्यक है।

47- कम्प्यूटर अनुरक्षण- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय के द्वारा सुनवाई कक्षों एवं मा0 आयोग कार्यालय में संचालित कम्प्यूटरों एवं प्रिन्टरों के रख-रखाव एवं मेंटीनेंस तथा उक्त के कम्प्यूटरों से सम्बन्धित सामग्री की आवश्यकता हेतु धनराशि रू0 350 हजार का पुनर्विनियोग किया जाना आवश्यक है।

2- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, व 151, में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों /परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

संख्या- आर0ई0 379 -यू0ओ0-ई-9-57/दस-2016, दिनांक 16-2-2016

महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उ0प्र0, इलाहाबाद।

राम सुमेर
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

भवेश रंजन
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-9 /2016/195/43-1-2016-7(4)/2014 दिनांक 22 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- सचिव, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
5- लेखाकार, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 (तीन प्रतियाँ)
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,

भवेश रंजन
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।